फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाड़मेर) मुकाम बायतु

बाबूराम बनाम नैनाराम वगैरा

किस्म मुकदमा धारा 212 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 नं 28 / 20 सन 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
18.02.2020	प्रार्थी की ओर से वकील श्री कुम्भसिंह चौधरी द्वारा यह प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को न्यायहित में सुना गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। प्रार्थी व विप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 की संयुक्त एवं पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा मलवा उतराद पटवार मण्डल चीबी व मौजा राजबेरी मलवा पटवार मण्डल खारापार तहसील गिड़ा में आई हुई है। प्रार्थी वकील के कथनानुसार विप्रार्थीगण प्रार्थी की खातेदारी भूमि बैचान, रहन, बख्शीश करने पर आमदा है और यदि ऐसा हो गया तो वाद बहुलता बढ़ेगी। प्रार्थी की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अंध्ययन करने के पश्चात् सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष का बनना प्रतीत होता है। अतः विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख 18.03.2020 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी मौजा मलवा उतराद पटवार मण्डल चीबी तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 97/24 रकबा 14.17 बीघा व मौजा राजबेरी मलवा पटवार मण्डल खारापार तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 58/3 रकबा 43.05 बीघा की भूमि में विप्रार्थीगण संख्या 1 किसी प्रकार का बैचान, रहन, बख्शीश व तरमिम नहीं करें। वर्तमान रैकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। इसी माफिक उभय पक्षकारान् पाबन्द रहे। विप्रार्थीगणो को स्थगन नोटिस जारी होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 18.03.2020 को पेश हों। [signature] 18.2.2020 सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.10 18:08:46 IST
Reason: SelfAttested

18/03/2020

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामिल होना तामील अज्ञात/इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 27/04/2020 को पेश हो। तबतक स्थगन आदेश पूर्वादेशानुसार यथावत रहेगा।

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

27/04/2020

पत्रावली पेश हुई। विपक्षीगणों के नोटिस तामिल होना तामील अज्ञात/ कोविड-2019 के चलते कोर्ट नहीं लिया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 24/06/2020 को पेश हो। तबतक स्थगन आदेश पूर्वादेशानुसार यथावत रहेगा।

24/06/2020

पत्रावली आज पेश हुई। कोविड-2019 के चलते कोर्ट नहीं लिया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 23/09/2020 को पेश हो। तबतक स्थगन आदेश पूर्वादेशानुसार यथावत रहेगा।

23/09/2020

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 28/10/20 को पेश हों।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.10 18:08:46 IST
Reason: SelfAttested

28/10/20

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामिल होकर तामील ... विपक्षीगणों के नोटिस पुनः पेश करे पेश होने पर जारी होकर पत्रावली दिनांक 14/12/20 को पेश हो। तबतक स्थगन आदेश पूर्वादेशानुसार यथावत रहेगा।

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रा० अपील सं० 28/20 मनभावन - बाबूराम पुत्र नैनाराम वगैरा	
14/12/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी वकील द्वारा पूर्व आदेशिका की पालना नहीं की गई। पालना करना चाहते हैं। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इन्तजार होकर आगामी दिनांक 27/01/2021 को पेश हो। तबतक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा।	
27/01/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण संख्या-1 से 3 की ओर से मूल वाद के वकील श्री खेताराम जाखड़ द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इन्तजार होकर आगामी दिनांक 30/03/2021 को पेश हो।	
30/03/2021	पक्षकारान कोविड उपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इन्तजार होकर आगामी दिनांक 07/06/2021 को पेश हो।	
07/06/2021	पक्षकारान कोविड [illegible] पीठासीन अधिकारी का [illegible] मिसल इन्तजार होकर आगामी [illegible] 06/09/2021 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.10 18:08:46 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
06/09/2021	प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या-1 से 3 के वकील उपस्थित। प्रतिवादी वकील द्वारा जवाब पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी वकील द्वारा पूर्व आदेशिका की पालना नहीं की गई, प्रार्थी वकील विप्रार्थी संख्या-4 व 5 के नोटिस पेश करे, पेश होने पर पत्रावली दिनांक 20/09/2021 को पेश हो, तब तक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
20/09/2021	वकलाय फरीकैन उपस्थित। दोनों पक्षों के अधिवक्ता बहस फाइनल करना चाहते है। निवेदन किया जाकर पत्रावली दिनांक 27/09/21 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
27/09/21	वकलाय फरीकैन उपस्थित। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद मूल वाद का निस्तारण हो चुका है इसलिए आवेदन का कोई औचित्य नहीं रहता है अतः प्रार्थी का स्थगन आवेदन खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुदा होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.10 18:08:46 IST
Reason: SelfAttested